रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380] नई दिल्ली, सोमवार, जून 24, 2019/आषाढ़ 3, 1941
No. 380] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 24, 2019/ASHADHA 3, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2019

सं. 1/2019- सीमा शुल्क (सीवीडी)

सा.का.नि. 449(अ).—जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है), में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "न्यू/अनयूज्ड, न्यूमेटिक रेडियल टायर्स चाहे इनमें ट्यूब्स लगी हो या नहीं और चाहे इनमें रबर के फ्लैप लगे हो या नहीं (इनमें ट्यूबलेस टायर्स भी आते हैं) जिनका नामिनल रिम डाया कोड 16" से ऊपर हो, जिनका प्रयोग बसों और लारियों/ट्रकों में होता हो" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), (जिसे एतश्मिन पश्चात उक्त सीमा शुल्क अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 4011 20 10 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में अधिसूचना संख्या 6/8/2018-डीजीएडी, दिनांक 25 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित, अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि इस कारण हुई क्षति के निदान के लिए निश्चयात्मक काउंटरवेलिंग ड्यूटी का लगाया जाना जरूरी है और उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले उक्त विषयगत माल के आयात पर निश्चयात्मक काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान, आंकलन, और सब्सिडाइज्ड वस्तुओं पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 20 और 22 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत आता है जो कि नीचे

कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (**6**) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर उस राशि तक की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाती है जो कि कॉलम (7) में उल्लिखित दर से परिगणित ड्यूटी की प्रमात्रा और देय प्रतिपाटन शुल्क, यदि कोई हो, की राशि के बीच अंतर के समतुल्य हो, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि, सीआईएफ मूल्य के **%** के रूप में
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	**4011 20 10**	न्यू/अनयूज्ड, न्यूमेटिक रेडियल टायर्स चाहे इनमें ट्यूब्स लगी हो या नहीं और चाहे इनमें रबर के फ्लैप लगे हो या नहीं (इनमें ट्यूबलेस टायर्स भी आते हैं) जिनका नामिनल रिम डाया कोड 16" से ऊपर हो, जिनका प्रयोग बसों और लारियों/ट्रकों में होता हो	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत अन्य कोई देश	झोंगशी रबर ग्रुप कंपनी लिमिटेड	**9.55%**
2.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत अन्य कोई देश	शांगडोंग वांडा बोटो टायर कंपनी लिमिटेड	**9.18%**
3.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत अन्य कोई देश	ट्रिएंगल टायर कंपनी लिमिटेड	**12.23%**
4.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत अन्य कोई देश	शांगडोंग योंगफ़ेंग टायर्स कंपनी लिमिटेड	**9.12%**
5.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत अन्य कोई देश	ऐओलस टायर कंपनी लिमिटेड	**9.66%**
6.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत अन्य कोई देश	किंगदाओ येलो सी रबर कंपनी लिमिटेड	**9.66%**
7.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत अन्य कोई देश	क्रम संख्या **1** से **6** से भिन्न अन्य कोई उत्पादक	**17.57%**
8.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न अन्य कोई देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	**17.57%**

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाई गई काउंटर वेलिंग ड्यूटी इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:-

(क) काउंटर वेलिंग ड्यूटी की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, **1962 (1962** का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की प्रासंगिक तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

(ख) "सीआईएफ मूल्य" से अभिप्राय उस आंकलन मूल्य से है जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, **1962 (1962** का 52) की धारा 14 के अंतर्गत किया जाता है।

[फा. सं. 354/61/2019-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2019

No. 1/2019-Customs(CVD)

G.S.R. 449(E).—Whereas, in the matter of "New/Unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff heading 4011 20 10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from, People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the Designated Authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification 6/8/2018-DGAD dated 25th March, 2019 has come to the conclusion that imposition of definitive countervailing duty is required to offset subsidization and injury and has recommended the imposition of definitive countervailing duty on the imports of the subject goods from China PR.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, read with rules 20 and 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the Designated Authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, countervailing duty of an amount equivalent to the difference between the quantum calculated at the rate mentioned in column (7) and anti-dumping duty payable, if any, of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	**Tariff Item**	**Description of Goods**	**Country of Origin**	**Country of Export**	**Producer**	**Duty amount as % of CIF value**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	4011 20 10	New/Unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres),	China PR	Any other country including	Zhongce Rubber Group Co. Ltd.	9.55%

		having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks		China PR		
2.	-do-	-do-	China PR	Any other country including China PR	Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd.	9.18%
3.	-do-	-do-	China PR	Any other country including China PR	Triangle Tyre Co. Ltd	12.23%
4.	-do-	-do-	China PR	Any other country including China PR	Shandong Yongfeng Tyres Co. Ltd	9.12%
5.	-do-	-do-	China PR	Any other country including China PR	Aeolus Tyre Co. Ltd.	9.66%
6.	-do-	-do-	China PR	Any other country including China PR	Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd.	9.66%
7.	-do-	-do-	China PR	Any other country including China PR	Any producer other than S. No. 1 to 6	17.57%
8.	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	17.57%

2. The countervailing duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation – For the purposes of this notification: -

(1) the rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such countervailing duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

(2) "CIF value" means the assessable value as determined under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. 354/ 61/2019-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.06.25 19:01:39 +05'30'